न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–26/2025

कुन्ती देवी वगैरह – आवेदकगण
बनाम्
राम विशुन पाण्डेय वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

10.06.2025

आवेदकगण की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–26/2025 मूल स्वत्व वाद सं0–349/2013 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–349/2013 जो दिनांक–06.05.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदकगण/प्रार्थीगण द्वारा विविध वाद संख्या 26/2025 दाखिल किया गया है। आवेदकगण एक साथ झारखण्ड राज्य के पाकुड़ में रहते हैं। आवेदक सं0–2 लक्ष्मीकान्त पाण्डेय ही मुकदमा में पैरवी करता था लेकिन उसे अपने नौकरी से छुट्टी नहीं मिलने के कारण न्यायालय नहीं आ सका वो अपने अधिवक्ता को मुकदमा का पैरवी करने हेतु अनुरोध किया था लेकिन उनके व्यवस्था के द्वारा उचित पैरवी नहीं हो सका जिस कारण मुकदमा उचित पैरवी के अभाव में खारिज हो गया। मुकदमा खारिज होने से आवेदकगण को काफी क्षति होने संभावना है। मुकदमा को पुनर्जीवित करने हेतु प्रार्थी अन्डर टेक करता है कि भविष्य में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। वाद के सुनवाई में प्रार्थीगण हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में प्रार्थीगण किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदकगण का मुल नंबरी वाद संख्या–349 सन् 2013 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–26/2025 मूल स्वत्व वाद संख्या 349/2013 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदकगण के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–06.05.2025 को अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदकगण

ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदकगण झारखण्ड में रहते थे। आवेदकगण के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया हैं जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदकगण द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल वाद संख्या 349/2013 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या 26/2025 को न्यायहित में 4000/–रू0 खर्चा पर मूल वाद संख्या 349/2013 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय